कार्यालय, अधीक्षक मद्यनिषेध, पश्चिम चम्पारण बेतिया।

आदेश

विभागीय आवंटनादेश सं0-364 दिनांक-02.02.2021 द्वारा सर्वश्री हरिनगर आसवनगृह, हरिनगर को उनके अनुसंगी ईकाई हरिनगर सुगर मिल, प0 चम्पारण से वर्त्तमान पेराई वर्ष 2020-21 के उत्पादित छोआ में से 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) क्वींटल Captive B-Heavy छोआ का आवंटन किये जाने के उपरांत आवंटि द्वारा मांग किये जाने पर विभागीय पत्रांक-94 दिनांक-21.01.2011 के आलोक में कुल आवंटित मात्रा 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) क्वींटल Captive B-Heavy छोआ के उद्भरण का आदेश दिया जाता है।

- 2. निरीक्षक मद्यनिषेध, प्रभारी हरिनगर सुगर मिल, प0 चम्पारण आवंटनादेश मे निहित शर्त एवं बंधेजो के तहत विभागीय पत्रांक-94 दिनांक-21.01.2011 एवं विभागीय पत्रांक-364 दिनांक-02.02.2021 के अलोक मे छोआ का उदभरण सुनिश्चित करेंगे।
 - 3. आवंटित छोआ का का परिवहन पाईप लाइन ने किया जायेगा।
- 5. आवंटित छोआ के उदभरण की मान्यता अवधि पत्र निर्गत कि तिथि से एक माह अर्थात दिनांक-01.03.2021 तक निर्धारित कि जाती है।

प0चम्पारण,बेतिया।

बेतियः दिनांक २.२.२ ज्ञापांक/ म०नि० प्रबंधक, हरिनगर सुगर मिल, प0 चम्पारण / निरीक्षक मद्यानिषेध, प्रभारी हरिनगर प्रतिलिपि -सुगर मिल, प0 चम्पारण/अधीक्षक मद्यनिषेध, इरिनगर आसवनगृह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित।

अधीक्षक महिनिषेध